<u>जनपद बाराबंकी</u>

प्रेसनोट सं0 -30 **दिनांक 14.09.2024**

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा फर्जी कम्पनी बनाकर लगभग 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले 05 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से पासबुक, डायरी व कम्प्यूटर सेट बरामद-

दिनांक 11.09.2024 को वादी बच्चालाल पुत्र शिवदास व मीरा देवी पत्नी वेदप्रकाश निवासीगण सुरसरण्डा थाना मसौली जनपद बाराबंकी तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा थाना कोतवाली नगर पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि रेखा देवी पत्नी सुनील गौतम निवासी ग्राम शहावपुर थाना मसौली जनपद बाराबंकी अपने आपको रिच डायमण्ड इण्डिया लिमिटेड की एजेन्ट बताकर अपने साथियों के साथ मिलकर अधिक ब्याज का लालच देकर रुपये जमा कराए गए जबकि पूरे रुपयों को अभिलेखों में न दिखाकर कम रुपये दिखाये गये। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 797/2024 धारा 316(2)/318(4) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स के आधार पर आज दिनांक 14.09.2024 को फर्जी रिच डायमन्ड कम्पनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले 05 अभियुक्तों 1. रेखा उर्फ धर्मावती पत्नी सुनील कुमार गौतम निवासी शहावपुर थाना मसौली जनपद बाराबंकी (एजेन्ट) 2. शैलेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री लालचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट सूरतगंज थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बारांबकी (डायरेक्टर) 3. सौरभ वर्मा पुत्र परमानन्द वर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट बन्नी खरैला थाना मानपुर जनपद सीतापुर (ब्रान्च मैनेजर) 4. उपेन्द्र कुमार पुत्र कमलेश कुमार निवासी सादुल्लापुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी (आफिस असिस्टेण्ट) 5. अंकित कुमार यादव पुत्र रामहर्ष निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी (फील्ड वर्कर) को आवास विकास, LIC बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशांदेही से 28 अदद पासबुक, 07 अदद डायरी, 01 अदद कम्प्यूटर सेट बरामद किया गया।

पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एल.आई.सी. आफिस के निकट आवास विकास स्थित सांई प्लाजा में रिच डायमण्ड इण्डिया लिमिटेड के नाम से फर्जी कम्पनी बनाकर जनता के भोले भाले व कम पढ़े लिखे लोगों को डेढ़ गुना ब्याज का लालच देकर खाता खुलवाने के पश्चात पैसा जमा कराया जाता है तथा लोगों से जो पैसा प्रति महीना जमा किया जाता है उसे अभिलेखों में कम अंकित करते हैं। अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेज बनाकर अभी तक 1200-1300 लोगों से पैसा जमा किया गया किन्तु किसी को भी पैसा वापस नहीं किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रेखा उर्फ धर्मावती पत्नी सुनील कुमार गौतम निवासी शहावपुर थाना मसौली जनपद बाराबंकी (एजेन्ट)
2. शैलेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री लालचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट सूरतगंज थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बारांबकी (डायरेक्टर)
3. सौरभ वर्मा पुत्र परमानन्द वर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट बन्नी खरैला थाना मानपुर जनपद सीतापुर (ब्रान्च मैनेजर)
4. उपेन्द्र कुमार पुत्र कमलेश कुमार निवासी सादुल्लापुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी (आफिस असिसटेन्स)
5. अंकित कुमार यादव पुत्र रामहर्ष निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी (फील्ड वर्कर)

बरामदगी-

1- 28 अदद पासबुक

2- 07 अदद डायरी

3- 01 अदद कम्प्यूटर सेट

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री अजय कुमार त्रिपाठी जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
3. म0 उ0नि0 किरन देवी, थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
4. का0 धीरज, का0 अभिषेक थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।